संख्याः /XXXVI(2)/25/10(बजट)/2023

प्रेषक,

प्रशान्त जोशी,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

न्याय अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक नवम्बर, 2025

विषयःमा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में वर्चुअल कोर्ट सॉल्यूशन (Virtual Court Solution) "VCONSOL" के क्रय एवं क्रियान्वयन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 7316/UHC/IT/VCONSOL/2025, दिनांक 12.11.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डिजिटल न्यायिक बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने और सुरक्षित, एवं न्यायपालिका–उन्मुख वर्चुअल कार्यवाही को सक्षम बनाने के लिए न्यायिक वर्चुअल न्यायालय प्रणालियों में विशेषज्ञता रखने वाली भारतीय ओ0ई0एम0, Techgentsia Software Technologies Pvt. Ltd. द्वारा विकसित वर्चुअल कोर्ट सॉल्यूशन (Virtual Court Solution) "VCONSOL" को क्रय एवं क्रियान्वित (Procurement and implementation) किये जाने हेतु उपलब्ध करायी गयी परियोजना रिपोर्ट के आधार पर कुल रू0 5,91,910/– की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में शासनादेश संख्या–380/XXXVI(2)/25/22(बजट)/2023, दिनांक 02 अप्रैल, 2025, के द्वारा अनुदान संख्या–04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2014–न्याय प्रशासन–102–उच्च न्यायालय–03–उच्च न्यायालय के अन्तर्गत मानक मद–26–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से उपरोक्त प्रयोजन हेतु **रू0 5,91,910/– (रू0 पांच लाख इक्यानवे हजार नौ सौ दस मात्र)** की धनराशि व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न हीं पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जाय, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।
4. स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2025 (समय–समय पर यथासंशोधित), वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स, व सुसंगत नियमों एवं अन्य मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेश व तद्विषयक अन्य आदेशो/शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बज़ट या भारत सरकार द्वारा आवंटित/स्वीकृत की गयी है तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा न्यूनतम निविदा के सापेक्ष बचत/क्रय की जाने वाली सामग्री के लिए स्वीकृत दरों के सापेक्ष हुई बचत की सूचना भी शासन को उपलब्ध कराते हुए उक्त बचत की धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जायेगा।
7. कम्प्यूटर, हार्डवेयर, साफ्टवेयर व नेटवर्किंग उपकरणों के क्रय हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–285/पी.एस./2006, दिनांक 23.10.2006 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों/आदेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देश व उपबन्धित व्यवस्थानुसार ही कार्यवाही की जाय।
8. वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–287566/ E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/ 2025, दिनांक 31 मार्च, 2025 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–04, 'लेखाशीर्षक–2014–न्याय प्रशासन–102–उच्च न्यायालय–03–उच्च न्यायालय' के अन्तर्गत मानक मद '26–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण' के नामे डाला जायेगा।

3 – यह आदेश वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गमन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–287566/E-79713/09(150)2019/XXVII/2025, दिनांक 31.03.2025 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
Prashant Joshi
Date: 17-11-2025
13:28:37

(प्रशान्त जोशी)
प्रमुख सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या व दिनांक तदैव।</u>
<u>प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–</u>

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. वित्त विभाग, अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Manish Kumar Pandey
Date: 18-11-2025
14:30:27

(मनीष कुमार पाण्डेय)
अपर सचिव।